



GENERAL STUDIES (Test-10)

निर्धारित समय: तीन घंटे
Time allowed: Three Hours

DTVF/22 (J-A)-M-GSM (M-D)-2210

अधिकतम अंक: 250
Maximum Marks: 250

Name: Anil Kumar Yadav

Mobile Number: _____

Medium (English/Hindi): _____

Reg. Number: _____

Center & Date: _____

UPSC Roll No. (If allotted): _____

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

इसमें बीस प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में छपे हैं।

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।

प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:

There are TWENTY questions printed both in HINDI and ENGLISH.

All the questions are compulsory.

The number of marks carried by a question is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

केवल मूल्यांकनकर्ता द्वारा भरा जाए (To be filled by Evaluator only)

Question Number	Marks	Question Number	Marks
1.		11.	
2.		12.	
3.		13.	
4.		14.	
5.		15.	
6.		16.	
7.		17.	
8.		18.	
9.		19.	
10.		20.	
Grand Total (सकल योग)			

मूल्यांकनकर्ता (हस्ताक्षर)

Evaluator (Signature)

पुनरीक्षणकर्ता (हस्ताक्षर)

Reviewer (Signature)

Feedback

- | | |
|---|--|
| 1. Context Proficiency (संदर्भ दक्षता) | 2. Introduction Proficiency (परिचय दक्षता) |
| 3. Content Proficiency (विषय-वस्तु दक्षता) | 4. Language/Flow (भाषा/प्रवाह) |
| 5. Conclusion Proficiency (निष्कर्ष दक्षता) | 6. Presentation Proficiency (प्रस्तुति दक्षता) |

1. विधियाँ परिवर्तन की शक्तिशाली साधन सिद्ध हो सकती हैं। लेकिन जल्दवाजी में निर्मित विधियाँ मंशा अनुरूप कार्य नहीं करतीं और नेक मंशा से बनी विधियाँ अप्रभावी रही हैं। इस संबंध में संसद की प्रभावहीनता के कारण विधि निर्माण में व्याप्त कमियों की चर्चा कीजिये एवं सुदृढ़ विधि निर्माण प्रक्रिया के लिये उपाय सुझाइये। (150 शब्द) 10
- Laws can be powerful instruments of change. But badly made ones do not work as intended and well-intentioned ones are ineffective. In this regard, discuss lacunae gripping the law-making due to ineffectiveness of Parliament and suggest measures for robust law-making process. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

विधियाँ देश की सामाजिक शक्ति बढ़ाने की शेरक हैं। यह देश में सकारात्मक उन्नतियों के विकास का माध्यम है। किंतु अद्यतन व संसद में बहुमत का दुरुपयोग विधि निर्माण प्रक्रिया को कमजोर करता है।

भारत में विधि निर्माण का दायित्व विधायकों को है। जबकि क्रिया-व्यय का अधिकार कार्यपालिका का है।

जल्दवाजी में निर्मित विधियों की-जैसे-

- बहुमत का दुरुपयोग,
- पर्याप्त विचार-विमर्श का अभाव
- विधियों में व्याप्त कमजोरियों पर जवाब नहीं पड़ना। अतः क्रिया-व्यय में बाधा आती है।
- संसदीय कार्य-प्रणाली गिरावट आती है।

कुछ कार्यों के निर्माण में जल्दबाजी से संघ की स्तिरि सामने आती, जल्दबाजी कापद लेता पता।

जनता का संसदीय कार्यपालिका पर विश्वास का होता है।
विपक्ष की कार्यकारिणियों की बाधा उत्पन्न होती है विधि निर्माण के निम्न स्थाप में अपनाया जा सकता है -

- ① विधि को बनाने से पूर्व हितधारकों, एन आरएल संगठन, इच्छा संघर्ष ले चर्चा की व विमर्श किया जाए।
- ② संसद में विधियों पर्याप्त विचार - विमर्श
- ③ गंभीर विषयों को संसदीय समितियों के गले भेजा जाए।
- ④ सलाह पत्र व विपक्ष का संसदीय कार्यकारी में शामिल कार्यकरण किया जाए → इसके लिए आत्मसंविदा को उजादी बनाया जाए

संसदीय व्यवस्था में विधि निर्माण लोकसभा के उजादी बनाने के उद्देश्य से होता चाहिए, विधायिका के कार्य का कार्यपालिका द्वारा विधियों को उजादी बनाने को सीमित करना है


उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

2. न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया एक स्वतंत्र न्यायपालिका के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संबंध में कॉलेजियम प्रणाली का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द) 10
The process for the appointment of judges lies at the heart of an independent judiciary. In this regard critically analyze the collegium system. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

भारतीय संविधान शक्ति के प्रचलन के सिद्धांत पर आधारित है, जहां स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान के संरक्षण व नागरिक अधिकारों को उजादी बनाने के लिए आवश्यक है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए आज में सलाह पत्र परामर्श नामों को राष्ट्रपति की सहमति पर होती थी, तब 2nd जनवरी (सुप्रीम कोर्ट) में न्यायपालिका के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका की महत्वपूर्ण माना, एनी तरह 3rd जनवरी में कोलेजियम की अवधारणा लागू आनी।



इसके तहत कोलेजियम जजों के नामों में उजादी कार्यपालिका के पास भेजती है जिसकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा जजों की नियुक्ति की जाती है।

सकारात्मक पक्ष → नागरिक निपुणता में कार्यपालिका का हस्तक्षेप सीमित होता है

→ कार्यपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है

→ कार्यपालिका की क्षमता आती होती है

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

नकारात्मक पक्ष → यह शक्ति के संपन्नता को सीमित करता है

→ हालांकि अंकल तंत्रों को निपुणता की उद्विधा मानते हैं,

→ कार्यपालिका की शक्ति सीमित है

→ अमेरिका व अन्य राष्ट्र में जहाँ की निपुणता कार्यपालिका की अनुशासन पर होता है

यह निपुणता की उद्विधा को अपराधशील बनाता है


कार्यपालिका की स्वतंत्रता एक अपरिहार्य तथ्य है, किंतु नागरिक निपुणताओं में कार्यपालिका के लिए कोमलतापूर्ण दृष्टि और प्रयत्न रहे तभी के साथ उनकी प्रभावशीलता व कार्यक्षमता को भी वर्धित होना चाहिए।

3. एक सुदृढ़ और स्वतंत्र रूप से संचालित नागरिक समाज की उपस्थिति सफल और स्थिर लोकतंत्र की पहचान है। इस संबंध में नए भारत के निर्माण में नागरिक समाज की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (150 शब्द) 10

The presence of a strong and freely operating civil society is the hallmark of successful and stable democracies. In this regard critically examine the role of Civil society in making of new India. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

नागरिक समाज संगठन उड़ व्यक्तियों को खैदिक समूह हैं जो लोकतंत्र में सकारात्मक व नागरिक के बीच अंतरक्रिया को प्रोत्साहित करते हैं।



सकारात्मक भूमिका

- यह लोकतंत्र में जन उद्विधा को दृढ़ करने में कार्य करते हैं (वाचतांत्रिक की भूमिका)
- वाचतांत्रिक जनता की आवाज को सकारात्मक रूप से सुने जाते हैं,
- लोकतंत्र में सरकारी नीतियों व कार्यों की समीक्षा कर प्रभावशीलता बढ़ाते हैं।
- किसान युनियन व अन्य संगठन अपने हितों के अनुकूल नीति निर्माण के लिए स्वावलंबी हैं।

- पर्यावरण संगठनों पशुओं व वनों के संरक्षण के प्रबन्धी कर्तव्य हैं जिन्हीं कोई अवाज नहीं है (Voice of Voiceless)
- वंशियों एवं महिलाओं के हितों को प्रकाशित करते हैं।

सार्वजनिक प्रतिक्रिया

- कई बार विकास के कार्यों में बाधा बनते हैं -

① हिंसक विरोध प्रदर्शन व हड़ताल के लोक व्यवस्था पर सार्वजनिक प्रभाव पड़ेगा CAA के विरोध के हिंसक प्रदर्शनों के विरोध में हिंसक

② सरकारी वित्त वीक्षण पर आधारित कार्यक्रम को कमजोर बनाते हैं।

③ विदेशी प्रत्येक कार्यक्रम व कार्यक्रम के बीच शक्ति में लक्षित हैं
 - गृह मंत्रालय ने हाल ही में 10000 के अधिक संगठनों का अभिलेखित किया है।

सार्वजनिक नागरिक संगठन लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रकाशित करते हैं, यह नागरिकों के अधिकारों को प्रकाशित करते व नीतियों को धरातल पर उतारने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

4. भारत की G20 अध्यक्षता की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत कितनी कुशलता से G20 में मौजूद अंतर को समाप्त करने के लिये रास्ते एवं साधन खोज सकता है और इसे साझा हित के मंच में रूपांतरित कर सकता है। टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द) 10

The success of India's G20 Presidency will depend on how deftly India can find paths and instruments to bridge the divides plaguing the G20 and turn it into a platform of shared interest. Comment. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

G-20 समूह विश्व की लगभग 80% GDP व 2/3 से अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। G-20 की 2023 की बैठक को अध्यक्षता भारत करेगा।

G-20 (USA, जापान, चीन, भारत, आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, रूस, जर्मनी, इटली - -

G-20 में मौजूद अंतर (रूस-यूक्रेन युद्ध, विश्व आर्थिक संकट, अफगानिस्तान)

- विकसित व विकासशील देशों के बीच द्वि-संघर्ष। → WTO विकास
 -> आर्थिक मुद्दों पर संलग्नकारी नीतियों का अभाव → पश्चिम के भारत को G20 में बाहर नट दिया है।
- चीनी आक्रमक नीतियां
 -> उत्पादों की डीपिंग के विरुद्ध संभव उपाय।
- अनाम दर कारकों के संघर्ष में दुश्मनों का शत्रु।

पर्यावरण संबंधी चुनौती से निपटने के लिए वित्त पोषण के संघर्ष में इच्छितियों की किन्ता ।

एक स्याही कार्यालय का प्रभाव

भारत की प्रसिद्धि -

- भारत 5-20 का संस्थापक सदस्य रहा है।
- भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का उपाधी बना (सबसे है)
- जलवायु वित्त ^{पेक्षा} पर एकीकृत इच्छितियों की व्यवहारिता बना (सबसे है)
- न्यूनतम कर (15% असाधारण) का उपाधी बना (सबसे है)
- आतंकी वित्त पोषण व अर्थव्यवस्था पर निषेध का उपाधी बना (सबसे है)
- चीनी आक्रमक नीतियों के विरुद्ध संयुक्त संचयन का (सबसे है)
- 170 विचारों का संचालन एक किराण (सबसे है)

भारत एक सकारात्मक शक्ति सहअस्तित्व आधारित मानव केन्द्रित विषय व्यवस्था के निर्माण में 5-20 के मंच का सकारात्मक प्रयोग कर (सबसे है)

उम्मीदवार को इस हारिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

5. डेटा संरक्षण कानून में राज्य की निगरानी शक्ति के साथ-साथ व्यक्तिगत गोपनीयता को स्पष्ट करना चाहिये। चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

Data protection law should spell out individual privacy along with state surveillance power. Discuss. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हारिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने पुरास्वामी अधिनियम (2017) में गोपनीयता को प्रकृत अधिकार (Art-21) माना है, ऐसे में डेटा संरक्षण नागरिकों के अधिकारों के उपाधी बनाने के लिए आवश्यक हो गया है।

डेटा संरक्षण कानून की आवश्यकता

- हाल ही में कोसल राज्य की भाषा से निजी डेटा के संरक्षण व राज्य की निगरानी के विषय में विचार सामने आया।
- आया जैसे बायोमेट्रिक डेटा के व्यापक प्रयोग से डेटा संरक्षण कानून अपेक्षा हो गया है।
- आकाशा एअरलाइन के अडाल्ट हाल ही में नागरिकों के डेटा की एक कालिका समझे थापा है, पुरा कीक मामले में एवाबोडिंग व उत्तरदायित्व के लिए कानून आवश्यक है।
- नागरिकों के साथ डेटा के प्रयोग संबंधी विषयों के कारण ही डेटा संरक्षण

आवश्यक हैं।

• सरकार हमलों से सुरक्षा के लिए भी कार्रवायों का संरक्षण आवश्यक है।

• राज्य की निगलनी व जन अधिकारों के बीच संतुलन के लिए भी कार्रवायों आवश्यक हैं।

आगे की राह

- हाल ही में सरकार ने डेटा संरक्षण अधिनियम विधेयक को वापस लेते हुए, नए रूप में उनका प्रेश कर लेने की बात की है।

डेटा संरक्षण

के लिए डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम की बात की जा रही है।

↳ राइट टू फोरगटन की संरक्षण पर भी विचार विमर्श हो रहा है।

डेटा संरक्षण के संदर्भ में जस्टिस बृष्णा प्रेमल की प्रस्तावना के माध्यम से कार्य करता करता राज्य की शक्ति व नागरिकों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)


6. दल-बदल विरोधी कानून गैर-सैद्धांतिक दल-बदल द्वारा लोकतंत्र के क्षरण के विरुद्ध सुरक्षा के लिये लाया गया था, हालाँकि यह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

(150 शब्द) 10

Anti-defection law was brought to protect against the subversion of democracy by unprincipled defection, however, it has failed to achieve its objective. Critically Examine.

(150 words) 10

लोकतंत्र की प्रभावशीलता के लिए संसदीय कार्यपालिका का स्थापित आवश्यक है, इसी परिस्थिति में भापा राण गपा राण की राजनीति पर नियंत्रण के लिए दल बदल विरोधी कानून, 1986 में लाया गया।



सकारात्मक पक्ष

- सरकारों को स्थापित एवं स्थिर रखे,
- हाल ही में भी प्रवृत्ति भापा राण के भी भागी.
- सरकार की प्रभावशीलता भी,

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

लोकपाल पक्ष → ७ यह सदस्यों के विशेषाधिकारों के विरुद्ध है

- ① शलाकशात से राजनीति का आविर्भाव बढ़ा है
- ② सदन की विचारविमर्श से उद्दिष्ट में गिरावट आयी है
- ③ सदन में सदन के सदस्यों की प्रतिव्यक्ति पर पार्टी का नियंत्रण बढ़ गया है;

④ आगे की राह → सरकार स्थायित्व व

विश्वसत में उद्दिष्ट के प्रतिव्यक्ति प्रतिव्यक्ति की समतुल्यता से।
 कि वहल करने वाले सदस्यों को कुलिंग शक्ति को नष्ट करके नष्ट करके उनका युक्ति व मंत्री बनने से रोका जा सकता है,

- ↳ राजनीति के अयत्नीकरण पर नियंत्रण
- ↳ जनता में जागरूकता का प्रसार

लोकतंत्र में सरकार का स्थायित्व लोकतंत्र के प्रतिव्यक्ति विचार के लिए आवश्यक है, किंतु सदस्यों की विचार व प्रतिव्यक्ति की समतुल्यता की एक महत्वपूर्ण चरम है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
 (Candidate must not write on this margin)

7. स्वच्छ भारत अभियान का व्यापक स्तर और दायरा इसे विश्व के सबसे बड़े स्वच्छता अभियानों में से एक बनाता है। इस संबंध में स्वच्छ भारत मिशन की सफलता का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये।
 (150 शब्द) 10

The sheer scale and scope of the Swachh Bharat Abhiyan makes it one of the largest cleanliness drives in the world. In this regard, critically evaluate the success of Swachh Bharat mission.
 (150 words) 10

भारत में स्वच्छता के प्रति लक्षणात्मक प्रकृति व आदत बनाने के लिए सरकार ने 2014 में कांठी शंपरी के दिन से स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ किया था।

स्वच्छ भारत मिशन की सफलता

- भारत के लगभग सभी गांव ०.युक्त के शौच (00F) मुक्त घोषित हुए हैं
- PM गावाल प्रोग्राम के तहत शौचालय निर्माण को प्रोत्साहित किया गया है
- होटल एवं अपार्टमेंट प्रबंधन को प्रोत्साहित किया गया है
- सीरी प्रोग्राम से स्वच्छता अभियान से शहरी व गांवों के बीच स्वच्छता के मापों के अंतर में प्रतिस्पर्धा बनी है

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
 (Candidate must not write on this margin)

- पंचायतों की स्वयंसेवा से गांवों की प्रगति हुई।
- इन्होंने गैर सरकारी क्षेत्रों में निवेश किया है।
- इनके द्वारा प्रोत्साहित किया है।

पुनर्निर्माण

- ODF गांव व शहरों में अभी भी के मुझे शौच की उच्च विद्यमान है।
- भारत में केवल 60% लोग प्रशिक्षित ना विद्यमान ले पाता है।
- स्वयंसेवा से भारत अभी भी गांवों में विद्यमान रही ले पाती है।
- पंचायतों की वित्तीय व प्रशासनिक स्थिति अच्छी है।
- जल प्रदूषण से निपटारा

सरकार ने स्वयंसेवा अभियान के माध्यम से स्वयंसेवा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दिया है, इसके लिए स्वांग के माध्यम से अग्रणी कार्य प्रारंभ है। स्वयंसेवा प्रकल्पों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

8. भारत-नेपाल ने 75 वर्ष पहले आधिकारिक राजनयिक संबंधों की शुरुआत के बाद से बहुआयामी और गहन संबंध साझा किये हैं। लेकिन इस संबंध में कई अंतर्विरोध भी देखने को मिले हैं। परीक्षण कीजिये। (150 शब्द) 10
- India-Nepal has shared multidimensional and dense relations since the beginning of official diplomatic relations 75 years ago. Yet the relationship is marked by several contradictions. Examine. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

भारत व नेपाल के बीच रोजी बरी का संबंध विद्यमान है जो सांस्कृतिक व आर्थिक एकता को बढ़ाता है।

भारत-नेपाल संबंध - नेपाल को भारत से भारत आश्रित है।

- दोनों के बीच नागरिक व परराष्ट्र संबंधों की लंबी विद्यमान है।
- दोनों देशों के नागरिकों को व शोभा विद्यमान से इत प्रदान की गई है।
- अलग परिस्थितियों का निर्माण भारत द्वारा किया जा रहा है।
- ODF समझौते को लागू किया जा रहा है।
- स्वयंसेवा का प्रयोग करके देश में भारत की नेबरहुड को बढ़ावा देना।

गोरखा व जंगल को बीच वन
संभालने

बिहार से नेपाल के बीच रेल संभालने

को बढ़ावा दिया जा रहा है

पूरी वैश्वीकरण (ग्लोबलीकरण)
युनैस्को

चीन की आक्रामक नीतियों व
उके अति सुरक्षा उपकरण को विकसित

उभारत चीन को अनेक नई
नी नेपाल सहयोगी मानता है

लीमा पाट प्रवेश करती है

परियोजनाओं को तिलवती में
रहे

प्रदेशी हथियार व संबंधित निर्माण
के बीच संवाद

भारत - नेपाल व्यापक से नेपाल को
बरा धारा है

नेपाल में अनेक गुणवत्ता पूर्ण चीनी
है जाया है

नेपाल व भारत के बीच संबंधों को सुदृढ़
बनाने के लिए व्यापक संयोजन को प्रभावी बनाने
के लिए परियोजनाओं के निर्माण की अति तीव्र गति को
आवश्यक है।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

9. चीन अपने वैश्विक विस्तारवाद के एक भाग के रूप में दक्षिण एशिया में भारत के हितों को कमजोर
कर रहा है। इस संदर्भ में चीन के प्रति-आधिपत्य और वृहत् क्षेत्रीय स्थिरता के लिये एक कदम के रूप
में सार्क को पुनः सशक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

China as part of its global expansionism, is chipping away at India's interests in South Asia.
In this regard discuss the need to reinvigorate SAARC as a step to counter-hegemonic China
and for greater regional stability. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

चीन ने अपनी आक्रामक रणनीति से
वृहत् क्षेत्रीय स्थिरता के लिये एक कदम के रूप
में सशक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिये।
भारत की सामूहिक सुरक्षा की चुनौतियाँ

चीन की चुनौतियाँ

- चीन द्वारा पाकिस्तान के साथ मिलकर
CPEC का निर्माण भारतीय संयुक्तता का
हमला है

- श्रीलंका में अणु ऊर्जा की नीति से
सुरक्षा की गारंटी व पूर्ण भ्रष्टाचार
नीति को अंतर्निहित किया है

- नेपाल व बहामा से बीच परिवहन
सुविधा का विकास भारतीय हितों के विरुद्ध
है

- बांग्लादेश को बिल्ट व सामूहिक
सुरक्षा उपकरण बनाने की भारत

3. हिंदों के प्रतिष्ठा हेतु

सर्वे का उपयोग

- भारत सर्वे के माध्यम से चीन से जोते लिडुलिन से सार्वभौमिक
- 1957 संविधान (संशोधन) के लक्ष्योत्पत्ति के अन्तर्गत बना सार्वभौमिक
- यह चीन के अणु परमाणु आदि को अन्तर्गत कर सार्वभौमिक
- 33वां संवैधानिक संशोधन (BRI) के अन्तर्गत से सार्वभौमिक

भारत सर्वे का उपयोग संविधान (संशोधन) के हिंदों को अन्तर्गत के लिए से सार्वभौमिक

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

10. क्या आपको लगता है कि दूसरे राज्य पुनर्गठन आयोग (SRC) का समय आ गया है जो कई छोटे राज्यों के सृजन के साथ भारत के संघीय मानचित्र का पुनर्निर्माण कर सकता है? समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (150 शब्द) 10

Do you think that the time has come for a second States Reorganization Commission (SRC) that can redraw India's federal map, creating many smaller states? Critically Examine. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

भारतीय ~~संघीय~~ राज्य पुनर्गठन आयोग।
1956 के द्वारा भारतीय अखण्ड 14 राज्यों के गठन को माध्यम से गठित की,

जिसके फलस्वरूप 75 वर्षों में सशान्त राष्ट्र के रूप में भारत की रूप रूपा है कि 25 राज्यों से 28 राज्यों के गठन की मांग विभिन्न राज पुनर्गठन आयोग की अधिनियम को अन्तर्गत सार्वभौमिक

• SRC की आवश्यकता

- ↳ कुल्लुबरा, जेएचएलएल जैसे राज्यों की मांग
- ↳ हाल ही में प्रचलित सिचिलिआनिक की मांग नामते माजी है

2) बीकानेर राजस्थान के विकास के लिए
राज्य विषय को र 5A माने
के लिए
उत्तरेन्द्रिया

→ इसे राज्यों के 1967 के
प्रशासनिक व वित्तीय उत्तरेन्द्रिया
समिति माने

→ राज्यों का 161 सेक्टर को
बताया गे (सबसे छोटा)

→ इसे राज्यों के विकास
की दिशा पर लंबे समय में
होता रहता है

पृथक राज के राज के लिए प्रशासनिक
व वित्तीय शक्तियों का अधिकतम अधिकार
है इन संदर्भ में SRC का 1977 का
राज्यों से व्यक्तार्थता व क्षेत्रीय विधि
के लिए संभावनाओं को ध्यान देने से
मातृशक्ति है

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

11.

“सहकारी संस्थाएँ देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं लेकिन शायद ही कभी नीति नियोजन के केंद्र बिंदु में होती हैं।” इस कथन के आलोक में सहकारी संस्थाओं के समक्ष विद्यमान विभिन्न समस्याओं और सहकारिता क्षेत्र के प्रबंधन के लिये एक नए केंद्रीय मंत्रालय के निर्माण के औचित्य पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

“Cooperatives play a vital role in the country's development but are seldom the focus of policy planning”. In light of this statement discuss the various issues faced by Cooperatives and the rationale for the creation of a new Union Ministry to oversee the cooperatives sector. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

→ विश्व बैंक के अनुसार सहकारी संगठन समान
पृष्ठभूमि के कुछ व्यक्तियों का लक्ष्य है जो लोकतांत्रिक
नरिबे से कार्यकरण का विचार से गतिविधियों
को आगे बढ़ाते हैं।

- सहकारी संगठनों की श्रमिका** → पंचसत
- सहकारिता अधिनियम, 1958
 - बैंकिंग अधिनियम, 1949
 - स्वामेशी विनायक
 - पंचसत वर्गों तक वित्तीय पंचसत का प्रसार
 - इसे विपणन व सेवा विपणन से प्रभावी बनाया → AMUL डेयरी
 - सेवा सहकारी महिला संगठनों महिला अधिकारों को प्रभावी बनाया है
 - निजसंपादन लक्ष्य के उद्यमशीलता को प्रभावी बनाया है
 - सहकारी बैंकों के → शांति } ग्रामीण } वित्तीय समावेशन का प्रसार किया है

सहकारी संस्थाओं की चुनौतियां का बड़ा खुद से सीमित है

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

- 1) सहकारी राज खेती का विषय है, जलवायु स्थिरता मॉडल कार्यों का अभाव है
↳ कार्यपद्धति को समझना बनाना है
- 2) RBI व सहकारी भाषि. की डेहरी विविधता विचार प्रयोग को समझना बनाना है
- 3) मानव शक्ति की कार्यकुशलता व प्रबंधनीयता शक्ति → संगठनों को समझना बनाना है
- 4) सहकारी संगठनों पर राजनीतिक प्रभुत्व की स्थापना के उद्देश्य प्राप्त संभव नहीं हो पा रहे हैं।
- 5) भ्रष्टाचार की समस्या विद्यमान है
- 6) वंचित वर्ग व महिलाओं की शक्ति सीमित है
- 7) बिल तक पहुँच सीमित है
हाल ही में संघ सरकार ने एक पृथक सहकारी मंत्रालय का गठन किया है, जिसे कलात्मक

त्रिज लाने से लवते हैं -

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

- 1) एक माडल कारन के तहत सहकारिता का विकास
 - 2) संघ व राज्यों के बीच समन्वय को बढ़ावा मिलेगा
 - 3) हाल ही में RBI ने सहकारिता एवं पंच के प्रवृत्ति लिए हैं
 - 4) सहकारिता के संदर्भ में जटिलता को बढ़ावा मिलेगा, जिससे पूरी विद्यमान संस्थाओं में उत्साहशीलता बढ़ सकेगी है
- चुनौतियां → राज खेती के विषय पर मंत्रालय गठन से 2. केंद्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा (बना है)
↳ राज संघ विकास लाने या लाने हैं
- सहकारिता सेवा के समावेशी व सर्वोपयोगी विकास से प्रभावी शक्ति निष्ठा लकता है, (सबके लिए दोहरे विविधता को समझना बनाना सुशक्ति प्रयोग तंत्र को बढ़ावा दिया जाना चाहिए)


12.

"पंचायत की आवाज लोगों की आवाज है" और 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम यह सुनिश्चित करने के लिये सही दिशा में बढ़ाया गया कदम था कि लोगों की आवाज स्पष्ट रूप से सुनी जाए। हालाँकि इस अधिनियम के लागू होने के तीन दशक से अधिक समय के बाद भी पंचायत की आवाज में दृढ़ता की कमी है। टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द) 15

"The voice of the Panchayat is the voice of the people" and the 73rd constitutional amendment act was a step in the right direction to ensure that the voices of the people are heard loud and clear. However, even after more than three decades of the enforcement of this act, panchayat's voice lacks strength. Comment. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

लोकतंत्र के विकेन्द्रिकरण के रूप में 73वें संविधान संशोधन, 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई।



सकारात्मक पक्ष

देश में पंचायतों के द्वारा लगभग 30 से 35 लाख जन-प्रतिनिधि (सबसे ऊपर, फलतः लोकतंत्र का पंचायत स्तर तक विस्तार हुआ,

देश में महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला, फलतः महिला

सशक्तिकरण को बढ़ावा देना

- ग्रामीण स्तर पर नियोजन को अग्रणी बनाया गया,
- जनप्रतिनिधित्व स्तरिकों से ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित किया है
- कोल मॉडल के तहत 29 विषयों के अन्तर्गत एक निर्यात मॉडल के अक्षमता को प्रोत्साहित किया है
- समस्याओं का समाधान पंचायत स्तर पर देखा गया, फलतः योजनाओं को प्रभावशीलता मिली.
- वसुधैव कुटुम्बकम् का सशक्तिकरण हुआ,
- जनता व सरकार के बीच रूढ़ि में कमी आयी।

फिर भी पंचायतों में निम्न-प्रकार के विकास हैं

- 1) लक्ष्यों के अन्तर्गत पंचायतों के सभी 29 विषय अन्तर्गत नहीं किए हैं,
- 2) पंचायतों का बुनियादी ढांचा, मिलावट, गैर

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

व्यवस्था के माध्यम से वित्तीय प्रणाली विकसित है।

- पंचायतों को वित्त के लिए (1) व केन्द्र वल निर्भर रहना पड़ता है।
- पंचायतों के लिए वल के नीचे व राज्य योजनाओं के अभाव के कारण अधिक भाग होने से स्वायत्त नियोजन की गतिविधि बाधित रहती है।
- पंचायतों का पंचायत अधिकारों का विपन्नता का अभाव है।
- पंचायत गतिविधियों में उचित परिश्रम व उचित सहायता का अभाव विकसित है।
- गतिविधियों के लिए व सही संगठन व गतिविधि का अभाव है।

पंचायतों को उन्नत बनाने के लिए (1) को उन्नत बनाया जा सकता है, इसके लिए केवल पत्र व वित्त व उन्नत नियोजन को पंचायतों को हस्तांतरित किया जा सकता है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

13.

वर्षों से चुनावों के आयोजन और परिणामों की उनकी निष्पक्षता के लिये सराहना की गई है, हालाँकि चुनावी प्रणाली में कुछ कमियाँ भी सामने आई हैं। इस संबंध में देश में चुनाव सुधारों की आवश्यकता पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

While conduct and outcome of elections over the years have been appreciated for fairness, some shortcomings have also emerged in the electoral system. In this regard discuss the need for electoral reforms in the country. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

निष्पक्ष चुनाव, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आधार है। यही कारण है कि लोकतांत्रिक प्रणाली के अभाव में बहुत निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली का अभाव किया गया है।

चुनाव भाषण की शक्ति की महत्ता

- चुनाव के उद्योग से रूचि केन्द्रित कर गतिविधियों का उन्नत नियोजन करा है।
- चुनाव प्रक्रिया व मतगणना सुचारु रूप से संचालित हो रही है।
- चुनाव की प्रक्रिया को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाया गया है।
ए- टीएन शोधन (सुधु सुधु प्रणाली) के लिए भेजने के उन्नत कार्य किए हैं।
- एक साथ चुनाव करने की योजनाओं को लागू किया है।

चुनाव प्रक्रिया की क्षमियां

- चुनाव में धन बल के प्रयोग से संबंधी चिंताएँ समाप्त हो जाती हैं
- राजनीति का प्रचलन (ANDP) के निर्देश के अनुसार एंडपी (एनपीए) पर प्रभावित प्रदर्शन देते हैं
- भारत को एक केंद्रीकृत के संरक्षण के बिना चुनाव प्रक्रिया की शक्ति सीमित है
- चुनाव बिल कोषण में अपारदर्शिता
- EVM में डेटा संबंधी त्रुटि को समाप्त करने आते हैं

चुनाव सुधारों की आवश्यकता

- चुनाव संबंधी कोषण के लक्षणों में पूर्व चुनाव प्रक्रिया में राज बिल कोषण की अनुशासन की है
- VVPAT के स्तरोत्तर के प्रभावी बनाने

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

- चुनाव प्रक्रिया के माध्यम को एक नई संकेत के लक्षणों में परिवर्तन की शक्ति को बढ़ाया जाए
- ई वोटिंग को प्रभावी बनाया जाए
- मतदान पहचान पत्र को प्रभावी ले जाकर फर्जी मतदान को रोका जा सकता है
- चुनाव के दौरान भ्रष्ट गतिविधियों के लक्षणों में प्रथम फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किया जा सकता है
- एक साथ चुनाव को अपनाया जा सकता है

चुनाव सुधार कार्यक्रम में सुधारों को बढ़ावा देना है कि इ-इलीक्ट्रॉनिक सुधार लक्षणों व डिजिटल प्रशासनिक सुधार प्रक्रिया में अनुशासन के माध्यम पर चुनाव सुधार को प्रभावी प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकता है

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

14. 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति का रणनीतिक महत्त्व व्यापक क्षेत्र में विकास को आकार देने की भारत की क्षमता का एक महत्वपूर्ण कारक बना रहेगा। परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 15
The strategic significance of the neighborhood-first policy will remain a key factor in India's ability to shape developments in the wider region. Examine. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

भारत ने अरबों की शान्तिपूर्ण सहभागिता की रणनीति के तहत नजदीकी देशों के साथ संबंधों को पुनर्जागरित करने के लिए नेबरहुड फर्स्ट की नीति अपनायी है।

नेबरहुड नीति की आवश्यकता

- दक्षिणी एशियाई देशों के सामाजिक आर्थिक हित वास्तव में जुड़े हुए हैं।
उदा. भारत - नेपाल ऊर्जा उत्पादक है जो भारत आयातक।
- दक्षिणी एशियाई देशों में सांस्कृतिक परंपरा एक समान है।
- भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए बांग्लादेश व म्यांमार के साथ संबंध पुनर्जागरित करना जरूरी है।
- भारत व दक्षिण में शान्तिपूर्ण अपराधों पर नियंत्रण के लिए, इराक

व भारत बल्की रोने के लिए (सहयोग) बलपूर्वक की आवश्यकता है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

- हिंद महासागर के सुरक्षा व शान्तिपूर्ण उपयोग में अफ्रीका व मालदीव, मरीशस के साथ सहयोग आवश्यक है।
- चीन की शक्तिमत्त नीतियों व अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का प्रतिस्पर्धित्व बनाना।
- अरब देशों से स्नेहपूर्ण व ऊर्जा सुरक्षा के लिए विस्तारित नेबरहुड की नीति अपनायी गयी है, इसी उद्देश्य के अंतर्गत ही नीति लागू की जायेगी।

भारत के उदात्त

- गुजरात स्थित तेल तट पर पाकिस्तान व चीन को डोड़क भय देशों को समर्थन देना बंद हो गया है।
- नेपाल में अलग वियोगिता को समाप्त किया जा रहा है।
- बांग्लादेश में हथियार प्रसारण संबंधों को सहयोग दिया जा रहा है।

- श्रीलंका लंदन के डॉक 12 बिल्डिंग में
केसि व काय व का प्राप्ति की
गई है
- बिस्कोक को प्रकाश बनाया जा रहा
है
- सर्व लेलाट के प्रयोग को बढ़ावा
दिया गया है
- BBPM के द्वारा परिवहन साधनों
का विकास किया जा रहा है
- अफगानिस्तान को आतंक के डॉक
आय अट्टरि को गई है

चुनौतियां → भारत - पाक तनाव से संबंध
भारत द्वारा परियोजना निर्माण
दिल्ली की है
↳ राष्ट्रीय संघर्ष
↳ राष्ट्रवाद, सीमा लंदन
↳ गैर गल विचार
↳ चीन के आक्रमण आदि
↳ लार्ड के प्रभाव

इसके अलावा भी बहुत अधिक आर्थिक
विकास के लिए पहलूयों हैं, इसीलिए भारत
के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में
प्रतिकूल हो रहे हैं।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

15.

भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति पर चर्चा कीजिये और भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिये।
(250 शब्द) 15
Discuss the constitutional position and explain the process of election of the President of India.
(250 words) 15

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

भारतीय संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति संवैधानिक
प्रमुख (Art 52) हैं, जो संविधान के निर्धारित
की शक्तों विज्ञात हैं, कार्यपालिका द्वारा किए
गए कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं।

राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति

Art-60 के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च
सर्वोच्च पद प्राप्त गया है,

Art-58 के तहत घोषणा का निर्धारण

Art-72 के अंतर्गत वी शक्ति

Art-74 के तहत प्रधानमंत्री के नियुक्ति
की शक्ति दी गई है,

आ

भारतीय संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति को
प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करने
पड़ता है (Art-73(1))

- राष्ट्रपति को सत्त बहाल व बिना सत्त लमाय क अधिकार है किन्तु पह भी मंत्रीमंडल के परामर्श पर ही निर्णय है
- वह मंत्रियों के नियुक्ति करता है (उपनिवेशी के अनुशासन पर)
- वह महालेखापरीक्षक, सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष, वित्त मंत्रालय, चुनाव आयोग आदि के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है
- सत्त सत्त राष्ट्रपति संवैधानिक तो उपनिवेशी वास्तविक अध्यक्ष है

राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया

- चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया संपन्न करायी जाती है
- वर्तमान राष्ट्रपति के पद लमाय से पहले चुनाव आवश्यक है
- इसके चुनाव की प्रक्रिया असाधारण महत्त्व उपनिवेशी द्वारा होता है जहां चुने हुए

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

प्रतिनिधि चुनाव में भाग लेते हैं

- इसके लिए निम्नलिखित नोटों का गठन होता है

राज्य विधानमंडल (विधानसभा) के निर्वाचित सदस्य

संसद के निर्वाचित सदस्य

↳ अनोखी भास भास नहीं ले सकते हैं

- पह चुनाव प्रक्रिया शकल महत्त्व की संकल्पनीय प्रकृति है लंपन होता है
- निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार को कुल वोटों के आधे से एक अधिक मत को प्राप्त करना आवश्यक होता है (55000+)
- उम्मीदवार की घोषणा का निर्धारण अड्डा इड के द्वारा होता है
- उम्मीदवार का नाम के पद पर ^{ही} दर्जना चाहिए

राष्ट्रपति का पद संसद की प्रतिनिधियों व वर्गजालिका के संतुलन के लिए आवश्यक है, यह राज लंघ के बीच संतुलन का ही प्रमुख माध्यम है


उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

16. सीमा पार जल विवाद भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच हमेशा से विवाद का एक विषय रहा है। भारत में सीमा पार नदी प्रबंधन से संबद्ध मुद्दों की चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15

Transboundary water disputes have always been a bone of contention between India and its neighboring countries. Discuss the issues associated with Transboundary River management in India. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारत व पड़ोसी देशों के बीच पारसीमा संबंध सिंधु एशियाई विकास के लिए महत्वपूर्ण है, किंतु नदी जल विवाद संबंधों को कमजोर करता है।



नदी जल विवाद

① सिंधु नदी जल विवाद

भारत व पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी जल का विवाद अनेक वर्षों से चल रहा है। इसके लिए विश्व बैंक ने मध्यस्थता के दिनांकों को 1979 हुआ है।

सिंधु नदी जल वितरण सिंधु, शेल्फ, नेपाल, पाकिस्तान, रानी वाक (मल्ला) भारत में १-नदी

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

② तीस्ता जल विवाद

तीस्ता जल विवाद, भारत व बंगलादेश संबंधों को प्रभावित करता है, यह बंगलादेश के कृषि व जलसिंचन के लिए आवश्यक है तो पश्चिम बंगाल के लिए तीस्ता नदी के उद्देश्य हैं।

③ नेपाल के विवाद

भारत व नेपाल नदियों के वहत भारत के उत्तर छोड़े गए जल से बिहार व पूर्वी क्षेत्रों में बाढ़ों की स्थिति बनाव उत्पन्न करती है।

④ ब्रह्मपुत्र के निर्णय के पीछे कारण

निर्णय का एहा बांध पूर्वोक्त भारत के पारोल्डिगिरी व इसके उपरि पर संरक्षित जल संचयन है।

सीमा पर जो उबंध है संबंधित उद्धे -

- दक्षिणी एशिया में शक्ति विकास के लिए जो गल का नार्विक विचार प्रस्तुत है
- वही पारिस्थितिक संकट के संकट का उद्धे
- अर्थ उला के लिए बांधों का निर्माण भी प्रमुख उद्धे है, भारत गल चेतन व सेलम पर निर्मित बांधों की परिकल्पना आलोचना करता है
- क्षेत्रीय विकास व आपसी संबंधों की प्रभावशीलता के लिए जो गल उबंध आनंदकर है
- व गल जीव की आक्रामक रणनीतियों को उत्तेजित करने के
- बाढ़ व सूखे को रोकने में सीमा पर जो गल उबंध महत्वपूर्ण हो जाता है

सीमा पर गल उबंध दक्षिण एशिया में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व आधारित संबंधों का निर्धारण है, भारत ने नेपाल व भूटान के साथ जो गल उबंधों के निर्माण का 40-45% किया है

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

17.

संघर्षी संघवाद उस संविधान के लिये अभिशाप है जो केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और सहकारिता की इच्छा रखता है। चर्चा कीजिये।

(250 शब्द) 15

Combative federalism is anathema to the Constitution which prescribes cooperation and collaboration between the Centre and the States. Discuss. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।

(Candidate must not
write on this margin)

संघवाद, राज्य व केंद्र की सकारात्मक शक्तियों के द्वारा जनसत्ता को प्रभावी बनाने व आर्थिक विकास को तेज करने की दिशा में है।

जबकि संघर्षी संघवाद राज्य व संघ लोक राज्यों के बीच तनाव को दर्शाता है।

संघर्षी संघवाद संविधान के लिए अभिशाप -

- 1) अनुच्छेद 1 के तहत राज्यों के बीच की संबंधों सहयोग पर आधारित हैं संघर्ष नहीं।
- 2) अनुच्छेद 1 के तहत राज्य, संघ व लोक राज्यों के बीच विषयों का विभाजन किया जाता है, जहां राज्य व संघ संपत्त एवं संपत्त हैं, जो कि संघ संवैधानिक गतिरोध को बढ़ावा दे सकता है।
- 3) राज्य - राज्य क्षमता पर आधारित नहीं।

व लघु संघ खरी पर रातक बनाने के लिए
लायता है, इसे में लघु संघ के स्थिति
देश में कारनी जिल्ला को उभरना
कर (सबना है)

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

- अधिक शक्तिय सेवा के विधुधितयां लघु संघों
विषयगत है तो राजको संघ पर स्थापना, उक्त
में लघु संघ विषय के उद्योग स्तर पर
अधिकारियों के नीचे के अन्तर्गत लघु संघों
- १९९९ परीक्षा में लघु संघ के स्थिति के
इस अन्तर्गत विद्युधितयां लघु संघों को
↳ निवेश (५) → विकास (५)

प्रतिस्पर्धी व सहयोगात्मक लघु संघों
की उभावशीलता -

- देश में ईत अन्तर्गत विद्युधितयां
को बतवा मिलेगा
- कारको के जिल्ला लघु संघों
- लघु संघों के उभावशीलता
को ली
- लघु संघों के अन्तर्गत लघु संघों

का लघु संघ उभावशीलता

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

सहयोगात्मक संघों
के उभाव

- लघु संघों के उभाव (लघु संघों
↳ श्रेणीय राज परीक्षा का ११६०
↳ स्वतंत्र - ५५५५५५५५ का ११६०
↳ विषयों का कंटक - ११६० अभावशीलता
↳ १९९९ परीक्षा में राजको को २१५ अभावशीलता

सहयोगात्मक व सहयोगी संघों का भारत
की संवृद्धि व विकास के लिए अभावशीलता
है, जो लोकतंत्र को गलत लघु संघों
करता है लघु संघों व लघु संघों के
अभावशीलता के अभाव पर लघु संघों
बनाया जाना चाहिये

18. देश में कारागार प्रशासन के समक्ष विद्यमान संकटकारी मुद्दों पर चिंतन करने की आवश्यकता है। परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 15

There is a need to reflect upon the issues plaguing the prison administration in the country. Examine. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

भारत में लगभग 4.5 लाख
कैदी जेलों में बंद हैं, जो भारत
को लक्ष्य रत माना है

कारागार प्रशासन के संकट

- कारागारों की संख्या तेजी से बढ़ रही है
- कारागारों के वित्तीय संकटों को लक्ष्य माना जा रहा है,
- कारागारों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता
- शौचालय व सुधार गृहों की कमी
- कारागारों के वृद्ध कार्यचारियों को प्रशिक्षण की आवश्यकता

कारागार प्रशासन को उपाय
इस वधा पायी है

- सुधार -
- मानविकता (पापों) की अनुसंधान को अपनाया जाए
 - ओपन जेल की व्यवस्था को अपनाया जाए
 - आधुनिकीकरण किया जाए
 - सुधार गृहों को उपाय बनाया जाए
 - वित्तीय संकटों को कम करने की प्रक्रिया चलाने की जाए
 - कैदियों को कौशल विकास से जोड़ा जाए
 - वृद्ध आधुनिक सुधार व आवश्यकताओं को उपाय बनाया जाए

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)


कारणों को ध्यान में रखकर
होना चाहिए, इसके लिए कारगर
के प्राथमिकताओं के साथ आर्थिक
सुधारों के प्रति लाने से आवश्यक
है

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

19. शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के संगठनात्मक ढाँचे की व्याख्या कीजिये और चर्चा करिये कि SCO की सदस्यता भारत के लिये कैसे प्रासंगिक है? (250 शब्द) 15
Explain the organizational structure of Shanghai Cooperation Organization (SCO) and discuss how SCO's membership is relevant to India? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

शंघाई सहयोग संगठन मध्य एशिया
की स्थिति व आर्थिक विकास को प्रभावी
कारणों के उद्देश्य के प्रति लाना है,
जिसकी स्थापना 1995 में चीन के नेतृत्व
में की गई थी,



संगठन व उद्देश्य -

- SCO का प्रति चीन के नेतृत्व में है
- यह RAIS (आतंकी (पेसी संगठन) के सदस्यों के प्राथमिक स्तर को प्रभावी करता है
- यह सदस्य देशों के बीच आर्थिक गतिविधियों को प्रभावी करता है

- यह सीमा पर इनेक्टिविटी के प्रकाश बनाता है

भारत के हित

- यह भारत को गण्य शक्ति का रूप तक इनेक्टिविटी प्रदान करता है
- यह गण्य शक्ति देशों के सुदुर्लभ संसाधनों तक पहुंच विस्तारित करता है
 - ↳ अजातिवाद से अर्थोपेक्षा की आपूर्ति
 - ↳ अजातिवाद से गैर परम्पराओं को विकसित होने से अउत्पीड़
- यह अंतराष्ट्रीय तर्क सत्य कारिडोट तब तर्क प्रकाश बनाता है
- यह अजातिवाद से सामंजस्य शक्ति के उदय को प्रकाश करता है तब से निरंतरता प्राप्त करता है

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

- भारत हित के लिए फिल्में चीन-प्रति 118 जोड़ पर विपरीत रा लक्ष्य है

- चीन के लिए तंत्र को उदाहरण प्रकाश (सीमा) लक्ष्य से अउत्पीड़ आ लक्ष्य है

सुझावियां

- वर्तमान में चीन-हल का 118 जोड़ व इसमें वाकिफत को लक्ष्य प्रकाश
- भारत-चीन सीमा विवाद
- अशिक्षित देश इसे चीनी राहों कहते हैं
- चीन की आक्रमण शक्तियां
- चीन को BRI प्रोजेक्ट की अर्थोपेक्षा
- शक्तियां

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारत को SCO की लक्ष्य को लक्ष्य 15 करोड़ की मात्रा लक्ष्य है। भारत ने समांतर संघर्ष की (छात्रों के लक्ष्य हल चीन के लिए अशिक्षित देशों के लिए संघर्ष बना है भारत SCO की उद्योग शक्ति सुलभा व अर्थोपेक्षा सुझावियों के अर्थोपेक्षा में अल लक्ष्य है

20. न्यायपालिका पर बादों/मामलों के भार को कम करने के लिये ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की गई है, लेकिन इसने न्याय प्रणाली में कई चुनौतियों को जन्म दिया है। समालोचनात्मक चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15
Tribunals are established to reduce the case load of the judiciary but it has given rise to multiple challenges in justice system. Critically discuss. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

भारतीय न्यायपालिका के सामने लगातार 4-5 करोड़ मामले लंबित हैं, इसी वजह से न्याय प्रणाली को विशेषज्ञ व वैकल्पिक तंत्र स्थापित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है।

ट्रिब्यूनल → 42वां संविधान संशोधन
↳ 323(A) → उच्च न्यायालय
↳ 323(B) → उच्च न्यायालय

पट्टा → न्यायपालिका के भार को कम करने के लिए

↳ प्राथमिक न्याय के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, अतः न्याय-प्रणाली के स्थान पर सार्वजनिक न्याय प्रणाली का लक्ष्य है।

↳ वैकल्पिक न्यायिक तंत्र की स्थापना
↳ विशेषज्ञ न्याय निर्णय
↳ राज्यों के न्याय विभागों के सामने भी

शांति

भारत का न्याय विभाग लंबित है

चुनौतियां

↳ इनके कारणे लागू नहीं हो पाते हैं

↳ इनके विरुद्ध ART-136 के माध्यम से उच्च न्यायालय तक पहुंच नहीं हो पाते हैं

↳ इनके कारणे लागू करने के उच्च न्यायालय चुनौतियां सामना करे

↳ NTA के कारणे न्याय लागू नहीं हो पाते हैं

भविष्य की राह

↳ ट्रिब्यूनल को उच्च न्यायालय के लिए इनके निर्णयों को लागू किया जाना आवश्यक है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

↳ प्रप्रीलीप जखिरहण को उगाकी
वनीपा गिए.

↳ इन्ने कोलो को उखरुन मापालक
के कोलो के सको मापनो सेगिए

11

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं लिखना
चाहिये।
(Candidate must not
write on this margin)

Space for Rough Work
(रफ कार्य के लिये स्थान)